फा.सं. 27/15/2010-एस. आर. (एस.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली - 110003
दिनांक 23 दिसम्बर, 2010

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषयः- <u>चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा से संबंधित प्रकरणों पर राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 24 मई, 2010 को आयोजित 79वी बैठक में विचार के उपरान्त अस्वीकार ।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 24 मई, 2010 को आयोजित 79वीं बैठक में विचारोपरांत समिति ने संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को अस्वीकृत करने की सिफारिश की है । विस्तृत ब्यौरा संलग्नक पर है ।

2. समिति द्वारा इन मामलों में जो सिफारिशें की गई उन्हें भारत सरकार द्वारा वास्तविक/चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत के मान लिया गया है । संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के उत्तराखण्ड राज्य आवंटन का परिशोधन नहीं करने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिः-

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री डी.के. कोटिया, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड पुर्नगठन समन्वय विभाग देहरादून ।

कार्मिक और
Deptt. of Pe
प्राप्ति और निर्गम
Receipt & Issue
23 DEC 2010
जारी किया/ISSUED
क्र0

संलग्नक 21 कर्मिकों की सूची

चिकित्सकीय व्यथा के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की 79वीं बैठक दिनांक 24 मई, 2010 की बैठक में अस्वीकृत प्रत्यावेदन

माध्यमिक शिक्षा विभाग

कमांक	कार्मिक का नाम/पदनाम /तैनाती	प्रत्यावेदन में अंकित बीमारी	नियुक्ति तिथि	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति
1	2	3	4	5
1.	श्री मनफूल सिंह, प्रवक्ता, गणित, राजकीय इन्टर कालेज, धामदेवल, अल्मोड़ा।	पत्नी अन्तर रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	14.12.1999	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री मनफूल सिंह को केस आफ थायरोग्लासल साइनस विद डिस्चार्जिंग पस, आपरेशन इक्सजीन आफ थायरोग्लासल साइबलटेक्ट अण्डर जनरल सनेस्थिसिया रोग से पीड़ित बताया गया है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
2.	श्री वीर पाल सिंह, सहायक अध्यापक, राज. इन्टर कालेज, शहरफाटक, अल्मोड़ा	पत्नी मानसिक रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तंर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	01.11.1999	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती सुषमलता पत्नी श्री वीर पाल [redacted] को मिक्स्ड एन्कजायेटी विद डप्रैसिव डिस्आर्डर विद सर्वाईकल स्पान्डलोसिस का रोगी बताया गया है। है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
3.	श्री राकेश कुमार, सहायक अध्यापक, राज. इन्टर कालेज, रतगांव, चमोली	पिताजी गुर्दा रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	11.07.1999	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्री टेक चन्द्र पिता श्री राकेश कुमार को आन द बेसिस आफ रिकार्ड अवलेबिल विद दा पेशेन्ट ही हैजबीन अन्डर रेग्युलर ट्रीटमेंट एन्ड फालो फार एच.टी.एन. विद सी.आर. एफ. विद बी.पी. सीन्स वन इयर एन्ड पर हिज प्रेजेन्ट रिपोर्टस दा सी.आर.एफ इज प्रोग्रेसिंग का केस बताया गया है। अतः इनको निरन्तर एक नेफ्रोलोजिस्ट द्वारा फालोअप और किसी अच्छे नेफ्रालाजिकल सेंटर से उपचार एवं इन्हें निरन्तर एक सहायक की आवश्यकता है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
4.	श्री मनवीर सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, जीनापानी, अल्मोड़ा।	पत्नी गुर्दा रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	29.10.1999	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती विद्यारानी पत्नी श्री मनवीर सिंह को क्रानिक किडनी डिसीज विद ग्रेड–III केस आफ सी.आई.एन. विद यू.टी.आई. का रोगी बताया गया है। इन्हें नियमित उपचार की आवश्यकता बतायी गई है। उ. प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
5.	श्री राकेश कुमार, प्रवक्ता, राजकीय इन्टर कालेज, पदमपुरी, नैनीताल	माता हृदय रोग से ग्रस्त एवं पत्नी गम्भीर रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	21.10.1991	1. राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती समरत्थी देवी माता श्री राकेश कुमार को आई.एच.डी. विद हाइपरटेंशन विद एन्जाइना विद एल.वी.एफ. का रोगी बताया गया है। इन्हें नियमित विशेष जॉच एवं उपचार की आवश्यकता बतायी गई है। 2. राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती कुसुम देवी पत्नी श्री राकेश कुमार को रिकरेन्ट ब्रान्काईटिस कास ए ई सी बी की केस बताया गया है। इन्हें नियमित उपचार की आवश्यकता बतायी गई है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।

6.	श्री लाल जी सिंह यादव, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, देवरी, खटीमा, ऊधम सिंह नगर।	पत्नी हृदय रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	26.08.1995	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री लाल जी सिंह यादव को केस आफ आर.एच.डी. विद एम.एस. विद ट्राईवियल एम.आर.1 का रोगी बताया गया है। इसके अतिरिक्त इलाज के साथ–साथ एक अटैन्डेन्ट की साथ रहने की सलाह दी है। है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
7.	श्री यशवन्त कुमार, सहायक अध्यापक, राज. इन्टर कालेज, जौरासी–अल्मोड़ा।	पत्नी मानसिक रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	22.09.1990	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री यशवन्त कुमार को टेन्शन हेडएकस (मानसिक रोग) का रोगी बताया गया है। है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
8.	श्री राम तीर्थ सरोज, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, धानाचूली, नैनीताल।	पत्नी हृदय रोग/मानसिक रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	13.09.1991	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती कैलाशपति पत्नी श्री राम तीर्थ सरोज को फालोथ्रू केस आफ डिप्रेशन विद मिटराल स्टेनोसिस विद आर.एच.डी. का रोगी बताया गया है। इन्हें लगातार हृदय रोग एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ से उपचार लेते रहने की आवश्यकता है। है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
9.	श्री महेन्द्र पाल गंगवार, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, सूर्पी, नैनेताल।	पत्नी गुर्दा रोग से ग्रस्त। होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	31.08.1996	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती सुशीला गंगवार पत्नी श्री महेन्द्र पाल गंगवार को लेफ्ट किडनी में स्माल कैलकुलस होना बताया गया है। जिसका मेडिकली/ सर्जकली उपचार सम्भव है। है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
10.	श्री जगदीश सिंह पाल , प्रवक्ता–गणित , राजकीय इण्टर कालेज, बड़ेथ, उत्तरकाशी	पत्नी गुर्दा रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	04.03.1995	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती अनीता पत्नी श्री जगदीश सिंह पाल को केस आफ सी.आर.एफ. ग्रेड–3 का रोगी बताया गया है। इन्हें निरन्तर चिकित्सकीय परामर्श की सलाह दी गई है। है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
11.	श्री रजनीश कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रौणद रमोली, टिहरी गढवाल	पिता हृदय रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	16.03.1996	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्री झण्डू सिंह पिता श्री रजनीश कुमार को सी.ए.वी.जी. (हृदय रोग) के फालोथ्रू उपचाराधीन रोगी बताया गया है। इन्हें नियमित विशेषज्ञ जॉच एवं उपचार की आवश्यकता बतायी गई है। है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
12.	श्री सतीश चन्द्र,, प्रवक्ता–रा0 विज्ञान, राजकीय इण्टर कालेज, गुनियालेख, नैनीताल।	पिता गुर्दा रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	28.12.1993	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्री रामेश्वर दयाल पिता श्री सतीश चन्द्र को सी.के.डी. ग्रेड–3 का रोगी बताया गया है। है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
13.	श्री रमेश चन्द्र यादव, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज चमतोला, अल्मोड़ा।	पुत्र मानसिक रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	15.03.1997	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्री सौरभ पुत्र श्री रमेश चन्द्र यादव को सीजर्स डिस्आर्डर फालोथ्रू केस तथा एन्टी कन्वलसेन्ट ड्रग्स पर वेल सेटेल्ड का रोगी बताया गया है। इन्हें अगले 05 वर्ष तक नियमित फालोअप उपचार की आवश्यकता बतायी गई है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।

14.	श्री सन्तोष कुमार सारस्वत,प्रवक्ता– रसायन, राजकीय इण्टरकालेज, रीठाखाल, पौड़ी गढ़वाल।	पत्नी गुर्दा रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	29.01.1991	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती सरिता सारस्वत पत्नी श्री सन्तोष कुमार सारस्वत को केस आफ एम0आर0डी0 ग्रेट ।। का केस बताया है। इन्हें प्रोटीन रहित डाइट की सलाह दी गयी है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
15.	श्री ऐश्वर्य प्रकाश, प्रवक्ता–हिन्दी, राजकीय इण्टर कालेज, विनोली स्टेट, अल्मोड़ा।	माता गुर्दा रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	26.07.1997	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती राजेश्वरी देवी माता श्री ऐश्वर्य प्रकाश को केस आफ सी0के0डी0–II विद हाइपर टेशन रोग से ग्रसित बताया है। इन्हें रैगुलर ओ0पी0डी0 चेकअप की सलाह दी गयी है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
16.	श्री राकेश यादव, प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज बरा (किच्छा) ऊधमसिंह नगर।	माता गुर्दा रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	23.12.1996	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री राकेश यादव को केस आफ पारकिंशन्श डिजीज विद डिप्रेशिव फीचर्स रोग से ग्रसित बाताया है। इन्हें लम्बे उपचार एवं पारिवाकि सहयोग की आवश्यकता बताई गयी है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
17.	श्री रामफेर रावत, प्रवक्ता–हिन्दी, राजकीय इण्टर कालेज, चॉफी, नैनीताल।	माता गुर्दा रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	04.08.1994	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती अम्बर रानी माता श्री रामफेर रावत को डायबेटीज मेलाईटिस विद हाईपरटेन्शन विद नेफ्रोपैथी की उपचाराधीन केस बताया गया है तथा इन्हें नियमित विशेषज्ञ जांच एवं उपचार की आवश्यकता बताई गई है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
18.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, गंगानगर, मोतियापाथर, अल्मोड़ा।	पत्नी मानसिक रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	14.09.1991	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती मालती सिंह पत्नी श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह को डिप्रेशन रोग से ग्रसित बताया है। इन्हें नियमित देखभाल एवं उपचार की आवश्यकता है । उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
19.	श्री राजबहादुर, प्रवक्ता, गणित, राजकीय इण्टर कालेज पुर्वाला दोगी, टिहरी गढ़वांल	स्वयं विकलांगता के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	16.07.1999	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्री राज बहादुर को पार्शियल एंकीलासिस आफ राइट एल्बो विद पैरासिस आफ आर0वी0/एल, विकलांगता 40 प्रतिशत बताया है। उक्त के अनुसार पेसेंट में कम इन सेट डिस्एबिलिट बताया गया है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
20.	श्री विक्रमा राम, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र राजकीय इण्टर कालेज रातीघाट, नैनीताल।	पुत्री गम्भीर हृदय रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	02.04.1992	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार कु0 रीतु पुत्री श्री विक्रमा राम को गम्भीर हृदय रोग से ग्रसित बताया है। इन्हें अपने माईओ काड्रियाईटिस के निमित विशेषज्ञ जॉच एवं उपचार की आवश्यकता बतायी है। है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
21.	श्री अशर्फी लाल, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज छिद्दरवाला, देहरादून।	पिता गम्भीर हृदय रोग से ग्रस्त होने के आधार पर उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में समायोजन हेतु।	20.03.1996	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्री मान सिंह पिता श्री अशर्फी लाल को केस आफ हिमाप्टेसिस हिस्ट्री आफ ए.टी.टी–2 इयर बैक रोग से ग्रसित बताया है। है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से उक्त बीमारी आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।